परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

संख्या:2004 एस्ए/98-155एफए/98 दिनांक:नवम्बर 7, 1998

कार्यालय-आदेश

निदेशक मण्डल के संकल्प सं0:2104/94 एवं संकल्प संख्या: 1384/84 द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार परिवहन निगम के कर्मचारियों/अधिकारियों को एक माह के मूल वेतन से अधिक के चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष महोदय में निहित थे एवं व्यय की प्रतिपूर्ति के अधिकार प्रबन्ध निदेशक में निहित हैं। दिनांक 13-8-98 को निगम बोर्ड की 144वीं बैठक के संकल्प संख्या: 2232/98 द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

"पूर्णकालिक अध्यक्ष को बोर्ड द्वारा समय-समय पर प्रतिनिधायित करने वाले आदेशों को अतिक्रमित एवं निष्प्रभावी करते हुए उन्हें निदेशक मण्डल में पुन: निहित किया जाता है परन्तु ऐसे अधिकार जो किसी विधि के अन्तर्गत अध्यक्ष में निहित किये गये है, वह यथावत बने रहेंगे।"

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अध्यक्ष महोदय के समस्त अधिकार निगम बोर्ड में निहित हो गये हैं।

वर्तमान समय में उ0प्र0 परिवहन निगम के विभिन्न क्षेत्रों/इकाइयों से कर्मचारियों को चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हो रहे है। अत: इनके निस्तारण हेतु निदेशक मण्डल की स्वीकृति की प्रत्याशा में अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्न प्रकार चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत करने के अधिकार प्रदत्त करने की अनुमति प्रदान की गई है।

1- चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

इनडोर चिकित्सा अग्रिम की धनराशि	स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी
1- रू0 5,000/- तक प्रत्येक प्रकरण में, परन्तु वर्ष में रू0 50,000/- तक	वि0नि0एवं मु0ले0अ0/सीमा समाप्ति के उपरान्त सं0प्र0प्र0नि0/अ0प्र0नि0
2- रू0 5,000/- से अधिक रूपया 10,000/- तक प्रत्येक प्रकरण में, परन्तु वर्ष में रू0 एक लाख तक	अ0प्र0नि0/सं0प्र0प्र0नि0 (सीमा समाप्ति के उपरान्त प्रबन्ध निदेशक)
3- रू0 10,000/- से अधिक(वर्ष में किसी भी सीमा तक)	प्रबन्ध निदेशक सम्पूर्ण अधिकार

इसी प्रकार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में जो अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित हैं उन्हें निम्न प्रकार से विकेन्द्रीयकरण किया जाता है:-

......2

Downloaded from www.upsrtc.com

2- भर्ती अवधि में चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का विवरण	स्वीकृत हेतु सक्षम अधिकारी
1- इनडोर चिकित्सा की प्रतिपूर्ति हेतु	कार्यालयाध्यक्ष के अधिकार यथावत बने रहेंगे।
2- इनडोर चिकित्सा की प्रतिपूर्ति हेतु कार्यालयाध्यक्ष के अधिकार के ऊपर रू0 10,000/- के प्रत्येक प्रकरण में।	वि0नि0एवं मु0लेखाधिकारी वर्ष में 5.00 लाख तक, सीमा समाप्त पर अ0प्र0नि0/सं0प्र0नि0
3- रू0 10,000/- से ऊपर रू0 50,000/- प्रत्येक प्रकरण में।	अ0प्र0नि0/सं0प्र0नि0 (वर्ष में रूपया 10 लाख सीमा समाप्ति पर प्रबन्ध निदेशक
4- रू0 50,000/- से अधिक प्रत्येक प्रकरण में।	प्रबन्ध निदेशक (सम्पूर्ण अधिकार)

पूर्व में चिकित्सा प्रतिपूर्ति के अनिस्तारित प्रकरणों पर भी यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू माने जायेंगे।

ह0/-
(देश दीपक वर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या: समसंख्यक एवं समदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्यालय के समस्त अधिकारी।
2- समस्त मण्डलीय प्रधान प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम।
3- समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम।
4- समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त) उ0प्र0 परिवहन निगम।
5- समस्त सम्परीक्षा अधिकारी, उ0प्र0 परिवहन निगम।

(एस0सी0 सक्सेना)
अपर प्रबन्ध निदेशक

Downloaded from www.upsrtc.com